भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1145

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

औपचारिक व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित लोग

1145. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर: श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे: श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रम संघटन दर 1990 में 70 प्रतिशत से अधिक से घटकर हाल के वर्षों में 56 प्रतिशत रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 15 से 59 आयु वर्ग के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी औपचारिक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण से वंचित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विभिन्न क्षेत्रों में कौशल गणना से बहुमूल्य जानकारी का पता चल सकेगा और सरकार को उपयुक्त लक्षित कदम उठाने में मदद मिलेगी;

(ङ) यदि हां, तो कौशल की गणना कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या यह सच है कि देश को कौशल विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए आंकड़ों पर आधारित कार्यनीति की आवश्यकता है; और

(छ) यदि हां, तो कौशल विकास के अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) श्रम बल के अधिक विश्वसनीय और समय पर आंकड़े प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अप्रैल 2017 में एक परिष्कृत पद्धति के साथ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) शुरू किया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 2022-23 में 57.9% हो गई है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, 15-59 वर्ष आयु-वर्ग के ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, 27.4% था, जिसमें औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 3.8% शामिल हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी और इसके कम आकांक्षात्मक मूल्य व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम भागीदारी के महत्वपूर्ण कारणों में से हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल, कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रोजगार संबंधी अंतर को दूर करना और श्रम उत्पादकता को और बढ़ाना है।

(घ) से (ज) देश में कौशल जनगणना कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, समय-समय पर कौशल अंतराल अध्ययन किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे अध्ययन सरकार के अन्तःक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं जिनका उद्देश्य उद्योग की ज़रूरतों के अनुसार कार्यबल तैयार करना है। इसके अलावा, ज़िला कौशल समितियों (डीएससी) को ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए ज़िला कौशल विकास योजनाएँ (एडीएसडीपी) तैयार करने का काम सौंपा गया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ-साथ जिले में कौशल-मांग से जुड़े क्षेत्रों की पहचान करता है और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की मैपिंग करता है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को कम करने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं।

भावी कार्यबल की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने, कौशल की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ संरेखित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में इंडस्ट्री लीडर्स के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया गया है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं को चिन्हित करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।
ii. उद्योग 4.0, उभरते क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भविष्य के लिए ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत जॉब रोल्स को प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के अंतर्गत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी जॉब रोलों की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं मानक निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक के रूप में की गई है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग- मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें तथा उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचान किए गए व्यवसायों के साथ मैप करें तथा उद्योग वैधीकरण करें।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) लचीली समझौता ज्ञापन स्कीम तथा प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों में कार्यरत प्रशिक्षण (ओजेटी) और रोजगारपरक कौशल के घटक भी शामिल हैं।

vii. डीजीटी ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (पूर्ववर्ती क्वेस्ट अलायंस), अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

viii. बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत एनएसडीसी उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो सहयोग और उद्योग-मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को संरेखित करते हैं।

ix. एनएपीएस के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क को बढ़ावा दिया जाता है।

x. भारत सरकार ने इन देशों में मांग के साथ कौशल को संरेखित करने के लिए दस देशों अर्थात यू.के., फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे भारत में कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमशीलता परिदृश्य को समन्वित और बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमशीलता के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में, एसआईडीएच इन क्षेत्रों में सभी सरकारी पहलों के लिए एक व्यापक सूचना गेटवे के रूप में कार्य करता है, जो इसे करियर में उन्नति और आजीवन सीखने की चाह रखने वाले नागरिकों के लिए एक केंद्र बनाता है। एसआईडीएच के प्राथमिक उद्देश्यों में कौशल विकास के लिए डिजिटल पहुँच को सुविधाजनक बनाना, कौशल इकोसिस्टम को एकीकृत करना, रोज़गार और उद्यमशीलता को बढ़ाना, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, सूचना गेटवे के रूप में कार्य करना और डेटा-संचालित निर्णय लेने का लाभ उठाना शामिल है।

*****